न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 5/2018 (राजसमन्द डिक्री)

1. दाख कुंवर पत्नी दौलतसिंह जी राजपूत, निवासी परावल, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
2. जोरावरसिंह पिता दौलतसिंह जी राजपूत, निवासी परावल, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. केसरसिंह पिता मोड़सिंह राजपूत (मृतक) के बजाय :–

1/1. लालसिंह पिता केसरसिंह जी राजपूत, निवासी परावल, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

1/2. सुरे''ासिंह पिता केसरसिंह जी राजपूत, निवासी परावल, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

1/3. सुन्दर कुंवर पिता केसरसिंह जी राजपूत, निवासी परावल, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

1/4. दरियाव कुंवर बेवा केसरसिंह जी राजपूत, निवासी परावल, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

2. नाहरसिंह पिता मोड़सिंह जी राजपूत, निवासी परावल, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
3. फतहसिंह पिता दौलतसिंह जी राजपूत, निवासी परावल, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
4. सोहनसिंह दौलतसिंह जी राजपूत (मृतक) के बजाय :–

4/1. विजेन्द्रसिंह पिता सोहनसिंह जी राजपूत, निवासी परावल नाबालिग जरिये वली माता भगवती कुंवर बेवा सोहनसिंह जी राजपूत, निवासी परावल, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

4/2. भगवती कुंवर बेवा सोहनसिंह जी राजपूत, निवासी परावल, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा–223 राजस्थान
का.अ. 1955 विरूद्ध निर्णय व डिकी
उपखण्ड अधिकारी नाथद्वारा दिनांक
06–12–1997 प्रकरण सं. 109/92

———:::———

उपस्थित(वक्तबहस)1. श्री अक्षय पालीवाल अभिभाशक अपीलान्टगण
2. श्री पैरोकार सरकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5

———:::———

निर्णय दिनांक

23–09–2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3, 4 द्वारा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1, 2 व 5 के विरूद्ध विभाजन का वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा गांव परावल में वाद पत्र की कलम संख्या 1 वर्णित कुल किता 9 रकबा 25 बीघा 6 बिस्वा भूमि स्थित है, जो वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के संयुक्त खातेदारी व आधिपत्य की होकर 1/3 हक हिस्सा दर्ज है। मूल पुरूश मोडसिंह जी के तीन पुत्र दौलतसिंह, नाहरसिंह व के"ारसिंह हुए, जिससे प्रत्येक का 1/3, 1/3 हिस्सा है। वादीगण दौलतसिंह के वारिस हैं। अतः वाद वर्णित भूमियों का विधिवत विभाजन कराया जाकर राजस्व अभिलेखों में अंकन किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 14–05–1996 को वादीगण का वाद स्वीकार कर प्रकरण में प्रारम्भिक डिकी जारी की तथा प्राप्त फर्द बंटवाड़े के आधार पर दिनांक 06–12–1997 को अंतिम डिकी जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण/वादी संख्या 1 व 4 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 17–01–2018 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को उक्त विभाजन की जानकारी नहीं थी तथा दिनांक 21–12–2017 को रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के मौके पर विवाद किया एवं कब्जा करने को कहा तब उक्त निर्णय की जानकारी हुई। जानकारी दिनांक से अपील अन्दर मयाद प्रस्तुत कर दी गयी है। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। देरी का पर्याप्त कारण है। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

हमने उक्त बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 06–12–1997 की अपील 60 दिवस में अर्थात दिनांक 06–02–2018 तक प्रस्तुत हो जानी चाहिए थी, किन्तु यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 17–01–2018 को प्रस्तुत की गयी है अर्थात अपील करीब 20 वर्श विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है। इतने लम्बे विलम्ब के लिए उनकी ओर से जो कारण बताये गये हैं वह न तो उचित प्रतीत होते हैं न ही पर्याप्त कारण प्रतीत होते हैं, अपितु मिथ्या कथन कर अपीलान्टगण 20 वर्श के विलम्ब को कण्डोन करना चाहते हैं। जबकि देरी से प्रस्तुत अपील में मामले में प्रत्येक दिन की देरी को स्पश्ट किया जाना आव”यक होता है। तद्नुसार अपील मियाद के बिन्दु पर ही खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 06–12–1997 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 23–09–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारो
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰.....मुकाम..... उदयपुर.....

व इजलास ..... प्रियंका जोधावत, आर॰ए॰एस॰ ....

दाख कुंवर पत्नी दौलतसिंह राजपूत, निवासी परावल, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द व अन्य

बनाम

केसरसिंह के बजाय लालसिंह राजपूत, नि0 परावल, तहसील नाथद्वारा, जि.राजसमन्द व अन्य

अपील नं॰.....5 / 2018.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....उपखण्ड अधिकारी..... .....नाथद्वारा..... मुकाम.....मुवर्खे.....06.....माह..... 12.....1997

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....23....माह.....09.....सन् 2019 रूबरू..... पक्षकारान

व हाजरी.....श्री अक्षय पालीवाल.....मिनजानिब अपीलान्ट व.....श्री पैरोकार सरकार

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 06–12–1997 यथावत रखी जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.....).....रूपये .... X..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....23.....माह.....09..... .....2019 को जारी किया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा .. .. 4. वकील फीस बाबत .... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी .... 3. इजराय हुक्मनामा . .... 4. मेहनताना वकील..... ..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये
दिलाया गया हो।